न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :78 / 2021 तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

01. धापु पुत्री होकमी चन्द जाति गुसाई उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
02. शारदा देवी पत्नि मन्ना लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.

..... प्रार्थी

बनाम

01. नन्द किशोर पिता हिरा लाल, जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी केशरपुरा बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
02. काना पिता प्यारा जाति गुसाई उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
03. शंकर पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 26 / 11 / 2021

प्रार्थना पत्र धापु पुत्री होकमी चन्द जाति गुसाई निवासी झाडोली, शारदा देवी पत्नि मन्ना लाल उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द्र धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 288 पर अंकित आराजी स. 847 / 15 रकबा 0.4856 कुल किता 1 रकबा 0.4856 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओ को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान सलावटिया पा. **में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।**

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार / गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 288 पर अंकित आराजी सं. 847 / 15 रकबा 0.4856 कुल किता 1 रकबा 0.4856 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100** / – रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500** / – रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

प्रशासन गॉवो के संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलिया (भीलवाड़ा)